DHYAN IAS
Institute for Civil Services Examination

State PSC/PCS

UPPSC

Open Test – IDP_260_002

GS

जीएस प्रारंभिक परीक्षा

DHYAN IAS
"Aspire, Learn, Lead"

उत्तर और स्पष्टीकरण

1. समाधान: d) 'स्टेट' शब्द का इस्तेमाल फंडामेंटल राइट्स से जुड़े अलग-अलग प्रोविज़न में किया गया है। इसलिए, आर्टिकल 12 ने पार्ट III के मकसद के लिए इस शब्द को डिफाइन किया है। इसके अनुसार, स्टेट में ये शामिल हैं:

1. भारत सरकार और संसद, अर्थात संघ सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग।
2. राज्यों की सरकार एवं विधायिका, अर्थात राज्य सरकार के कार्यकारी एवं विधायी अंग।
3. सभी लोकल अथॉरिटी, यानी नगर पालिकाएं, पंचायतें, ज़िला बोर्ड, सुधार ट्रस्ट वगैरह।
4. बाकी सभी अथॉरिटी, यानी LIC, ONGC, SAIL वगैरह जैसी स्टैच्युटरी या नॉन-स्टैच्युटरी अथॉरिटी।

इस तरह, राज्य को बड़े पैमाने पर डिफाइन किया गया है ताकि उसकी सभी एजेंसियां इसमें शामिल हों। इन एजेंसियों के कामों को फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन मानकर कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है ।

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, राज्य के साधन के रूप में काम करने वाली कोई प्राइवेट संस्था या एजेंसी भी आर्टिकल 12 के तहत 'राज्य' के अर्थ में आती है।

2. समाधान: d)

• राष्ट्र-राज्य कई जातियों का मिश्रण होता है।

• राष्ट्र का मतलब सिर्फ़ एक सोशियो-कल्चरल एंटिटी से है, ऐसे लोगों का एक यूनियन जो कल्चरल और भाषाई तौर पर अपनी पहचान बना सकें। यह कॉन्सेप्ट ज़रूरी नहीं कि फॉर्मल पॉलिटिकल यूनियनों पर विचार करे।

• राज्य का मतलब एक कानूनी/पॉलिटिकल एंटिटी से है जिसमें ये चीज़ें शामिल हैं: a) एक परमानेंट आबादी; b) एक तय इलाका; c) एक सरकार; और d) दूसरे राज्यों के साथ रिश्ते बनाने की क्षमता।

• दोनों के संयोजन को राष्ट्र-राज्य के रूप में जाना जाता है ।

3. समाधान: b)

आर्टिकल 3 संसद को यह अधिकार देता है :

(क) किसी राज्य से कोई भू-भाग अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी भू-भाग को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर एक नया राज्य बनाना,

(ख) किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना ,

(ग) किसी राज्य के क्षेत्रफल को कम करना ,

(घ) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना , तथा

(ई) किसी भी राज्य का नाम बदलना ।

हालाँकि, अनुच्छेद 3 इस संबंध में दो शर्तें रखता है: एक, उपरोक्त परिवर्तनों पर विचार करने वाला विधेयक संसद में केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही पेश किया जा सकता है ;

दूसरा, बिल की सिफारिश करने से पहले, राष्ट्रपति को इसे संबंधित राज्य विधानसभा को एक तय समय में अपने विचार बताने के लिए भेजना होगा। प्रेसिडेंट राज्य विधानसभा के विचारों से बंधे नहीं हैं और अगर विचार समय पर मिल भी जाएं, तो भी वे उन्हें मान या मना कर सकते हैं। इसके अलावा, हर बार जब बिल में कोई अमेंडमेंट लाया जाता है और पार्लियामेंट में मंज़ूर हो जाता है , तो राज्य विधानसभा को नया रेफरेंस देना ज़रूरी नहीं है।

4. समाधान: a)

भारतीय संविधान के आर्टिकल 9 के तहत, जो व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, वह भारतीय नागरिक नहीं रह जाता। OCI कार्डहोल्डर (PIO कार्डहोल्डर सहित) एक विदेशी नागरिक है जिसके पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट है और वह भारत का नागरिक नहीं है।

5. समाधान: b)

संविधान के पार्ट II के तहत आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। लेकिन, इसमें इस बारे में न तो कोई परमानेंट और न ही कोई डिटेल्ड प्रोविज़न हैं।

यह सिर्फ़ उन लोगों की पहचान करता है जो इसके शुरू होने पर (यानी 26 जनवरी, 1950 को) भारत के नागरिक बने थे। यह इसके शुरू होने के बाद नागरिकता मिलने या खत्म होने की समस्या से नहीं निपटता। यह संसद को ऐसे मामलों और नागरिकता से जुड़े किसी भी दूसरे मामले के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।

कोई व्यक्ति जो 1 मार्च, 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया था, लेकिन बाद में फिर से बसने के लिए भारत लौट आया, वह भारतीय नागरिक बन सकता था। इसके लिए, उसे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने की तारीख से छह महीने पहले तक भारत में रहना ज़रूरी था2 (आर्टिकल 7)।

6. समाधान: c)

संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

• ये पूरी तरह से लागू नहीं हैं, लेकिन ज़रूरी हैं। राज्य उन पर सही रोक लगा सकता है। हालांकि, ये रोक सही हैं या नहीं, यह कोर्ट तय करेगा ।

• वे न्याय योग्य हैं, जिससे लोगों को उनके प्रवर्तन के लिए अदालतों में जाने की अनुमति मिलती है, अगर और जब उनका उल्लंघन किया जाता है।

DHYAN IAS "Aspire, Learn, Lead"

• ये पवित्र या परमानेंट नहीं हैं। पार्लियामेंट इन्हें कम कर सकती है या हटा सकती है, लेकिन सिर्फ़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, किसी आम एक्ट से नहीं।

7. समाधान: c)

ये अधिकार विदेशियों (फ्रेंडली एलियंस) को नहीं मिलते।

• धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 15)।

• सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का अधिकार (अनुच्छेद 16)।

• भाषण और अभिव्यक्ति, सभा करने, संघ बनाने, आंदोलन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19)।

• सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29 और 30)।

लोकसभा और राज्य विधान सभा के चुनावों में मतदान का अधिकार ।

• संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार।

• कुछ सार्वजनिक पद धारण करने की पात्रता, अर्थात भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, भारत के अटॉर्नी जनरल और राज्यों के महाधिवक्ता।

8. समाधान: b)

अनुच्छेद 20(2) कहता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा । इसे दोहरे खतरे का सिद्धांत कहा जाता है ।

9. समाधान: d)

अधिकार लोगों के सही दावे हैं जिन्हें समाज पहचानता है और कानून मंज़ूर करता है। लेकिन, ज़्यादातर मामलों में दावा किए गए अधिकार राज्य की तरफ़ होते हैं । यानी, इन अधिकारों के ज़रिए लोग राज्य से अपनी मांगें रखते हैं।

जब मैं शिक्षा के अपने अधिकार पर ज़ोर देता हूँ, तो मैं राज्य से मेरी बेसिक शिक्षा के लिए इंतज़ाम करने की अपील करता हूँ।

अलग-अलग ग्रुप स्कूल खोल सकते हैं और स्कॉलरशिप के लिए पैसे दे सकते हैं ताकि सभी क्लास के बच्चों को पढ़ाई का फ़ायदा मिल सके। लेकिन मुख्य ज़िम्मेदारी राज्य की है। राज्य को ही यह पक्का करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने चाहिए कि मेरा शिक्षा का अधिकार पूरा हो।

अगर कोई अधिकार सिर्फ़ एक व्यक्ति या लोगों के ग्रुप को ही मिल सकता है , तो वह अधिकार नहीं, बल्कि एक खास अधिकार है। सड़क पर कार चलाने की आपकी आज़ादी, उसी सड़क पर दूसरों को भी कार चलाने की आज़ादी से जुड़ती है।

इसके अलावा , आपके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं हो सकता जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे। आपको इस तरह गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं हो सकता जिससे सड़क पर दूसरों को चोट पहुंचे।

उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति के तौर पर मेरी आज़ादी का अधिकार बताता है कि सरकार मुझे अपनी मर्ज़ी से गिरफ़्तार नहीं कर सकती। अगर वह मुझे जेल में डालना चाहती है , तो उसे अपने उस काम का बचाव करना होगा; उसे कोर्ट के सामने मेरी आज़ादी पर रोक लगाने के कारण बताने होंगे। इसीलिए पुलिस को मुझे ले जाने से पहले अरेस्ट वारंट दिखाना ज़रूरी है। इस तरह मेरे अधिकार सरकार के कामों पर कुछ रोक लगाते हैं।

10. समाधान: c)

आर्टिकल 14 के दो हिस्से हैं: कानून के सामने बराबरी और कानूनों का बराबर बचाव।

• पहली अवधारणा का मूल रूप से यह अर्थ है कि कानून सभी के लिए है, चाहे वह कोई भी हो।

• दूसरे कॉन्सेप्ट का मतलब है कि कानून एक जैसी स्थिति वाले लोगों पर एक जैसा लागू होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी एडल्ट को 3 साल की जेल की सज़ा मिलती है, तो उसी जुर्म और उन्हीं हालात के लिए दूसरे एडल्ट को भी 3 साल की जेल मिलनी चाहिए।

11. समाधान: a)

राज्य को यह अधिकार है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की तरक्की के लिए, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को छोड़कर, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सहित एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनके एडमिशन के संबंध में कोई भी खास नियम बना सकता है, चाहे वे राज्य से मदद पाने वाले हों या बिना मदद के।

संविधान में 'अस्पृश्यता' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है ।

12. समाधान: b)

आने-जाने की आज़ादी का अधिकार हर नागरिक को देश के किसी भी इलाके में आज़ादी से घूमने-फिरने का अधिकार देता है। इस आज़ादी पर सही रोक लगाने के दो कारण हैं, यानी आम लोगों के हित और किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा। अनुसूचित जनजातियों की खास संस्कृति, भाषा, रीति-रिवाजों और तौर-तरीकों की रक्षा करने और उनके पारंपरिक काम और प्रॉपर्टी को शोषण से बचाने के लिए आदिवासी इलाकों में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक है।

सभी नागरिकों को कोई भी प्रोफ़ेशन करने या कोई भी काम, व्यापार या बिज़नेस करने का अधिकार दिया गया है । यह अधिकार बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें किसी की रोज़ी-रोटी कमाने के सभी तरीके शामिल हैं।

13. समाधान: d)

अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं- पहला भाग सामान्य कानून के मामलों से संबंधित है और दूसरा भाग निवारक निरोध कानून के मामलों से संबंधित है।
किसी आम कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया हो, ये अधिकार देता है :
(i) गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार ।
कानूनी प्रैक्टिशनर से सलाह लेने और बचाव पाने का अधिकार।
(iii) यात्रा समय को छोड़कर, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार।
(iv) 24 घंटे बाद रिहा होने का अधिकार, जब तक कि मजिस्ट्रेट आगे हिरासत में रखने की इजाज़त न दे।
ये सुरक्षा उपाय किसी विदेशी या प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

14. समाधान: d)

फंडामेंटल राइट्स पूरी तरह से नहीं होते और उन पर सही पाबंदियां होती हैं। इसके अलावा, वे पवित्र नहीं हैं और पार्लियामेंट उन्हें संविधान में बदलाव करके कम कर सकती है या खत्म कर सकती है।
वे राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देते हैं। DPSP सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देते हैं।
इनमें से ज़्यादातर सीधे लागू किए जा सकते हैं (सेल्फ़-एग्ज़ीक्यूटरी) जबकि कुछ को लागू करने के लिए बनाए गए कानून के आधार पर लागू किया जा सकता है। ऐसा कानून सिर्फ़ पार्लियामेंट ही बना सकती है , राज्य विधानसभाएँ नहीं ताकि पूरे देश में एक जैसा नियम बना रहे (आर्टिकल 35)।

15. समाधान: d)

दोनों बातें सही हैं।

16. समाधान: c)

फंडामेंटल राइट्स एग्जीक्यूटिव की तानाशाही और लेजिस्लेचर के मनमाने कानूनों पर रोक लगाते हैं। वे न्याय के दायरे में आते हैं, यानी उनके उल्लंघन पर कोर्ट उन्हें लागू कर सकता है। पीड़ित व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है जो उसके अधिकारों को वापस पाने के लिए हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टिओरारी और क्वो वारैंटो रिट जारी कर सकता है ।

17. समाधान: a)

संविधान के पार्ट III को सही मायने में भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। इसमें 'जस्टिसिएबल' फंडामेंटल राइट्स की एक बहुत लंबी और पूरी लिस्ट है।
असल में, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स USA समेत दुनिया के किसी भी दूसरे देश के संविधान में पाए जाने वाले फंडामेंटल राइट्स से ज़्यादा डिटेल में हैं ।
फंडामेंटल राइट्स का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि उन्हें संविधान से गारंटी और सुरक्षा मिली हुई है, जो देश का फंडामेंटल कानून है।

DHYAN IAS "Aspire, Learn, Lead"

18. समाधान: c)

डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने कहा था, 'डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स निर्देशों के इंस्ट्रूमेंट की तरह हैं, जो ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट 1935 के तहत गवर्नर-जनरल और भारत की कॉलोनियों के गवर्नरों को जारी किए थे। '
जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहा जाता है, वह निर्देशों के साधन का ही दूसरा नाम है।
फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लिए निर्देश हैं।

19. समाधान: c)

मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट या इसके संशोधन जैसे कानून DPSP (आर्टिकल 42) की भावना से लागू किए गए हैं ।
बयान 2: ये सोशलिस्ट सिद्धांत हैं जो भारत में आर्थिक सोच के इतिहास से जुड़े हैं। भारत बराबरी, निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित आर्थिक सिस्टम को मानता है, और इसलिए, ऐसे अधिकार (प्रावधान) मज़दूरों की भलाई पक्का करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं।

20. समाधान: b)

1976 के 42 वें अमेंडमेंट एक्ट ने ओरिजिनल लिस्ट में चार नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जोड़े। इनमें राज्य के लिए ये ज़रूरी हैं :
(i) बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना (अनुच्छेद 39)।
(ii) समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना (अनुच्छेद 39 ए)।
(iii) उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना (अनुच्छेद 43 ए)।
(iv) पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना तथा वनों एवं वन्य जीवन की सुरक्षा करना (अनुच्छेद 48 ए)

21. समाधान: a)

अगर इनका उल्लंघन होता है तो कोई कोर्ट जाकर इन्हें लागू करने की मांग नहीं कर सकता। इसलिए, सरकार (केंद्र, राज्य और स्थानीय) को इन्हें लागू करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हालांकि अपने नेचर में नॉन-जस्टिसिएबल हैं, लेकिन ये कोर्ट्स को किसी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की जांच करने और तय करने में मदद करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह फैसला दिया है कि किसी कानून की संवैधानिकता तय करते समय, अगर कोर्ट को लगता है कि वह कानून किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करना चाहता है, तो वह ऐसे कानून को आर्टिकल 14 (कानून के सामने बराबरी) या आर्टिकल 19 (छह आज़ादियां) के हिसाब से 'सही' मान सकता है और इस तरह ऐसे कानून को गैर-संवैधानिक होने से बचा सकता है।

22. समाधान: d)

डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मकसद सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के आदर्श को बढ़ावा देना है । वे भारत में एक 'वेलफेयर स्टेट' बनाना चाहते हैं। लेकिन, फंडामेंटल राइट्स के उलट, ये डायरेक्टिव्स नॉन-जस्टिसिएबल होते हैं, यानी, इनके उल्लंघन पर कोर्ट इन्हें लागू नहीं कर सकता। फिर भी, संविधान खुद कहता है कि 'ये सिद्धांत देश के शासन में बुनियादी हैं और कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।'

23. समाधान: d)

कुछ राज्यों में, शहरी लोकल बॉडीज़ के चुनाव सालों से नहीं हुए हैं , जिससे डीसेंट्रलाइज़्ड गवर्नेंस का बड़ा लक्ष्य नाकाम हो गया है। गवर्नेंस के तीसरे लेवल को ज़्यादा अधिकार देने का विचार बुरी तरह रुका हुआ है, जबकि 1992 के 74 वें संविधान संशोधन एक्ट में 18 लोकल लेवल के कामों को डिवोर्स करने की पहचान की गई थी , जिसमें आर्थिक और सामाजिक विकास की प्लानिंग, ज़मीन का रेगुलेशन, बिल्डिंग बनाना, अर्बन प्लानिंग और पब्लिक हेल्थ शामिल हैं।

24. समाधान: d)

स्पीकर के काम, टेक्निकली एक "आर्बिटर" या "क्वासी-ज्यूडिशियल बॉडी" के तौर पर, सिर्फ़ दसवीं अनुसूची के तहत आने वाले मामलों तक ही सीमित नहीं होने चाहिए; बल्कि, यह उनके कई कामों तक फैला हुआ है। सदन के काम को आसान बनाने और सदन में डेकोरम बनाए रखने के साथ-साथ, स्पीकर के पास 'रेगुलेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव और ज्यूडिशियल मामलों में करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उन्हें संविधान और नियमों के तहत, और स्वाभाविक रूप से भी बहुत अधिकार प्राप्त हैं।'

वह 'हाउस के कामकाज से जुड़े उन नियमों की आखिरी इंटरप्रेटर और आर्बिटर हैं। उनके फैसले आखिरी और मानने वाले होते हैं और आमतौर पर उन्हें आसानी से चैलेंज नहीं किया जा सकता । वह डिबेट का समय तय करती हैं, मेंबर्स को डिसिप्लिन में रख सकती हैं और कमेटियों के फैसलों को भी ओवरराइड कर सकती हैं। वह हाउस की कलेक्टिव आवाज़ को रिप्रेजेंट करती हैं और इंटरनेशनल लेवल पर हाउस की अकेली रिप्रेजेंटेटिव हैं।'

25. समाधान: c)

दसवीं अनुसूची 1985 में संविधान में डाली गई थी । यह वह प्रोसेस बताती है जिसके तहत सदन के किसी दूसरे सदस्य की अर्जी के आधार पर लेजिस्लेचर के प्रेसाइडिंग ऑफिसर द्वारा लेजिस्लेचर को दलबदल के आधार पर डिसक्वालिफाई किया जा सकता है । एक लेजिस्लेचर को तब दलबदलू माना जाता है जब वह या तो अपनी मर्ज़ी से अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देता है या वोटिंग पर पार्टी लीडरशिप के निर्देशों को नहीं मानता है। इसका मतलब है कि कोई लेजिस्लेचर किसी भी मुद्दे पर पार्टी व्हिप की अवहेलना (मतदान से परहेज करना या उसके खिलाफ वोट करना) करके सदन की अपनी मेंबरशिप खो सकता है। यह कानून पार्लियामेंट और राज्य विधानसभाओं दोनों पर लागू होता है।

26. समाधान: a)

पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कुछ ऐसे अधिकार और इम्युनिटी हैं जो पार्लियामेंट के सदस्यों को, अकेले और मिलकर, मिलते हैं, ताकि वे "अपने काम अच्छे से कर सकें"। जब इनमें से किसी भी अधिकार और इम्युनिटी को नज़रअंदाज़ किया जाता है , तो इस अपराध को प्रिविलेज का उल्लंघन कहा जाता है और यह पार्लियामेंट के कानून के तहत सज़ा का हक़ है।

किसी भी हाउस का कोई भी सदस्य, विशेषाधिकार के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ मोशन के रूप में नोटिस दे सकता है । हर हाउस उन मामलों को कंटेम्प्ट एक्शन के तौर पर सज़ा देने का भी अधिकार रखता है, जो किसी खास विशेषाधिकार का उल्लंघन तो नहीं हैं, लेकिन उसके अधिकार और सम्मान के खिलाफ अपराध हैं।

स्पीकर/RS चेयरपर्सन किसी प्रिविलेज मोशन की जांच का पहला लेवल होता है। स्पीकर/चेयर प्रिविलेज मोशन पर खुद फैसला ले सकते हैं या इसे पार्लियामेंट की प्रिविलेज कमिटी को भेज सकते हैं।

27. समाधान: a)

यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड वह है जो पूरे देश के लिए एक कानून बनाएगा, जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके निजी मामलों जैसे शादी, तलाक़, विरासत, गोद लेने वगैरह में लागू होगा। संविधान का आर्टिकल 44 कहता है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड बनाने की कोशिश करेगा।

आर्टिकल 44 डायरेक्टर प्रिंसिपल्स में से एक है। आर्टिकल 37 में बताए गए तरीके से ये जस्टिसिबल नहीं हैं (किसी कोर्ट द्वारा लागू नहीं किए जा सकते) लेकिन इनमें बताए गए प्रिंसिपल्स गवर्नेंस में फंडामेंटल हैं। फंडामेंटल राइट्स कोर्ट में लागू किए जा सकते हैं। जबकि आर्टिकल 44 में "स्टेट कोशिश करेगा" शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, 'डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स' चैप्टर के दूसरे आर्टिकल्स में "खास तौर पर कोशिश करेगा"; "खास तौर पर अपनी पॉलिसी को डायरेक्ट करेगा"; "स्टेट की ऑब्लिगेशन होगी" वगैरह जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आर्टिकल 43 में लिखा है "स्टेट सही लेजिस्लेशन द्वारा कोशिश करेगा" जबकि आर्टिकल 44 में "सही लेजिस्लेशन द्वारा" फ्रेज नहीं है। इन सबका मतलब है कि आर्टिकल 44 की तुलना में दूसरे डायरेक्टर प्रिंसिपल्स में स्टेट की ड्यूटी ज़्यादा है।

28. समाधान: d)

नागरिकों के फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर वर्मा कमिटी (1999) ने कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लागू करने के लिए कानूनी नियमों के होने की पहचान की । वे नीचे बताए गए हैं :

1. राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम (1971) भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अपमान को रोकता है।
2. अलग-अलग क्रिमिनल कानूनों में भाषा, जाति, जन्म की जगह, धर्म वगैरह के आधार पर अलग-अलग तरह के लोगों के बीच दुश्मनी बढ़ाने के लिए सज़ा का प्रावधान है।
3. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (1955) जाति और धर्म से संबंधित अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करता है।
4. भारतीय दंड संहिता (IPC) राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोपों और दावों को दंडनीय अपराध घोषित करती है।
5. गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम 1967 में किसी सांप्रदायिक संगठन को गैरकानूनी संघ घोषित करने का प्रावधान है।
6. रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ पीपल्स एक्ट (1951) में भ्रष्ट कामों में शामिल होने, यानी धर्म के आधार पर वोट मांगने या जाति, नस्ल, भाषा, धर्म वगैरह के आधार पर लोगों के अलग-अलग वर्गों के बीच दुश्मनी बढ़ाने पर संसद या राज्य विधानसभा के सदस्यों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान है।
7. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है।
8. 1980 का फॉरेस्ट (कंजर्वेशन) एक्ट, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और जंगल की ज़मीन को गैर-वनीय कामों के लिए इस्तेमाल करने पर रोक लगाता है।

29. समाधान: c)

असली संविधान में नागरिकों के फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई इंतज़ाम नहीं था। इन्हें इंटरनल इमरजेंसी (1975-77) के दौरान स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 1976 से जोड़ा गया था । 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 2002 ने एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी ।

संविधान का पार्ट IV-A (जिसमें सिर्फ़ एक आर्टिकल 51-A है) ग्यारह फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताता है, जैसे कि संविधान, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का सम्मान करना; देश की सॉवरेनिटी, एकता और इंटीग्रिटी की रक्षा करना; सभी लोगों के बीच कॉमन ब्रदरहुड की भावना को बढ़ावा देना; हमारी मिली-जुली संस्कृति की रिच विरासत को बचाकर रखना वगैरह।

फंडामेंटल ड्यूटीज़ नागरिकों को याद दिलाती हैं कि अपने अधिकारों का आनंद लेते हुए, उन्हें अपने देश, अपने समाज और अपने साथी नागरिकों के प्रति अपनी ड्यूटीज़ के बारे में भी पूरी तरह से जागरूक रहना होगा। हालांकि, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरह, ड्यूटीज़ भी नॉन-जस्टिसिएबल नेचर की हैं।

30. समाधान: d)

संविधान में संशोधन सिर्फ़ संसद के किसी भी सदन में बिल पेश करके ही शुरू किया जा सकता है , राज्य विधानसभाओं में नहीं।

यह बिल या तो कोई मंत्री या कोई प्राइवेट सदस्य पेश कर सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पहले से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है।

बिल को हर हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए , यानी हाउस की कुल मेंबरशिप का मेजॉरिटी (यानी, 50 परसेंट से ज़्यादा) और हाउस में मौजूद और वोट देने वाले दो-तिहाई मेंबर का मेजॉरिटी।

हर हाउस को बिल अलग-अलग पास करना होगा। अगर दोनों हाउस के बीच कोई असहमति होती है, तो बिल पर विचार-विमर्श और उसे पास करने के लिए दोनों हाउस की जॉइंट मीटिंग करने का कोई प्रोविज़न नहीं है।

31. समाधान: a)

संविधान में संशोधन **सिर्फ़ संसद के किसी भी सदन (** लोकसभा और राज्यसभा) में बिल पेश करके ही शुरू किया जा सकता है , राज्य विधानसभाओं में नहीं।

यह बिल या तो कोई मंत्री या कोई प्राइवेट सदस्य पेश कर सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पहले से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है।

32. समाधान: a)

अलग-अलग फैसलों से संविधान के 'बेसिक फीचर्स' या संविधान के 'बेसिक स्ट्रक्चर' के एलिमेंट्स / कंपोनेंट्स / इंग्रेडिएंट्स सामने आए हैं। इसमें वेलफेयर स्टेट (सोशियो-इकोनॉमिक जस्टिस) भी शामिल है।

राम जेठमलानी केस (2011) में, A32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की जांच की गई।

कोर्ट ने कहा, "आर्टिकल 136 या आर्टिकल 32 या संविधान के किसी दूसरे नियम के तहत फाइल की गई पिटीशन में रिव्यू की पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर कोर्ट को लगता है कि उसके निर्देशों की वजह से किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स या पिटीशनर के किसी कानूनी राइट का नुकसान हुआ है।"

33. समाधान: a)

- राष्ट्रपति सबूतों की नए सिरे से जांच कर सकते हैं और अदालत के विचार से अलग विचार अपना सकते हैं।
- राष्ट्रपति न केवल उस सज़ा से राहत दे सकते हैं जिसे वे बहुत ज़्यादा सख़्त मानते हैं, बल्कि किसी साफ़ गलती से भी राहत दे सकते हैं।
- आमतौर पर गृह मंत्रालय इन मामलों को देखता है, और आखिरी फैसला कैबिनेट के ज़रिए राष्ट्रपति को भेजा जाता है।

• राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण बताने के लिए बाध्य नहीं हैं । यह एक मानवीय हस्तक्षेप है।
• यह न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है, सिवाय इसके कि राष्ट्रपति का निर्णय मनमाना, तर्कहीन, दुर्भावनापूर्ण या भेदभावपूर्ण हो।

34. समाधान: d)

अपनी शपथ में राष्ट्रपति यह शपथ लेते हैं:
• अपने पद का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना ;
• संविधान और कानून को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना और उसकी रक्षा करना; और
• भारत के लोगों की सेवा और भलाई के लिए खुद को समर्पित करना ।
राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और उनकी गैरमौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज दिलाते हैं। राष्ट्रपति के तौर पर काम करने वाला या राष्ट्रपति के काम करने वाला कोई भी दूसरा व्यक्ति भी ऐसी ही शपथ लेता है या कन्फर्मेशन लेता है।

35. समाधान: a)

नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक कानूनी (और संवैधानिक नहीं) बॉडी है। इसे 1993 में पार्लियामेंट के बनाए कानून, यानी प्रोटेक्शन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स एक्ट, 1993 के तहत बनाया गया था । चेयरमैन और मेंबर्स को प्रेसिडेंट छह मेंबर वाली कमिटी की रिकमेंडेशन पर अपॉइंट करते हैं, जिसके हेड प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर , राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन , पार्लियामेंट के दोनों हाउस में अपोज़िशन के लीडर और सेंट्रल होम मिनिस्टर होते हैं।

36. समाधान: d)

राज्यपाल के पास इन मामलों में संवैधानिक अधिकार होता है:
• राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक का आरक्षण।
• राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश।
• किसी समीपवर्ती केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करते समय (अतिरिक्त प्रभार के मामले में)।
• खनिज अन्वेषण के लाइसेंस से प्राप्त रॉयल्टी के रूप में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम सरकारों द्वारा स्वायत्त जनजातीय जिला परिषद को देय राशि का निर्धारण करना।
• राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव मामलों के बारे में मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना।

37. समाधान: a)

• राज्यपाल का चुनाव न तो लोगों द्वारा सीधे तौर पर होता है और न ही राष्ट्रपति की तरह किसी खास तौर पर बनाए गए इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
• उन्हें राष्ट्रपति अपने हाथ और मुहर वाले वारंट से नियुक्त करते हैं। एक तरह से, वे केंद्र सरकार के नॉमिनी होते हैं। लेकिन , जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में कहा था, किसी राज्य के राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के तहत नौकरी नहीं है।
• यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और यह केंद्र सरकार के नियंत्रण में या उसके अधीन नहीं है।
• इसके अलावा, जिस राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त हो गया है उसे उसी राज्य या किसी अन्य राज्य में फिर से नियुक्त किया जा सकता है ।
• राज्यपाल अपने पांच वर्ष के कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर रह सकता है, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण न कर ले।
• अंतर्निहित विचार यह है कि राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए और कोई अंतराल नहीं हो सकता।

38. समाधान: d)

संविधान में ये बातें (आर्टिकल के हिसाब से) मिल सकती हैं :
63\. भारत के उपराष्ट्रपति
राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे
65\. उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के पद पर आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कार्यों का निर्वहन करना
66\. उपराष्ट्रपति का चुनाव
67\. उपराष्ट्रपति का कार्यकाल
68\. वाइस-प्रेसिडेंट के ऑफिस में खाली जगह भरने के लिए चुनाव कराने का समय और कैजुअल खाली जगह भरने के लिए चुने गए व्यक्ति का ऑफिस का टर्म।
69\. उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
70\. दूसरी आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कामों का निर्वहन

39. समाधान: b)

प्रेसिडेंट की तरह, वाइस-प्रेसिडेंट को भी लोग सीधे नहीं चुनते, बल्कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के तरीके से चुनते हैं । उन्हें पार्लियामेंट के दोनों हाउस के मेंबर वाले इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर चुनते हैं ।

इलेक्टोरल कॉलेज, प्रेसिडेंट के चुनाव के इलेक्टोरल कॉलेज से इन दो मामलों में अलग होता है:

• इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं (राष्ट्रपति के मामले में, केवल निर्वाचित सदस्य)।

• इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं हैं (राष्ट्रपति के मामले में, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं)।

40. समाधान: b)

आर्टिकल 75 सिर्फ़ यह कहता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे । लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए आज़ाद हैं। इसमें कोई खास प्रक्रिया नहीं बताई गई है।

संसदीय सरकार के नियमों के अनुसार, राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है।

लेकिन , जब लोकसभा में किसी भी पार्टी को साफ़ बहुमत नहीं मिलता है , तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव और नियुक्ति में अपनी मर्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में, राष्ट्रपति आमतौर पर लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और उनसे एक महीने के अंदर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहते हैं।

लेकिन, यह प्रेसिडेंट के बनाए नियमों से गाइड नहीं होता, और यह पहले से चली आ रही परंपराओं पर आधारित है।

41. समाधान: b)

प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों को पार्लियामेंट का सदस्य होना ज़रूरी है। अगर वे नहीं हैं, तो उन्हें अपनी नियुक्ति के छह महीने के अंदर चुनाव या नॉमिनेशन से सदस्य बनना चाहिए।

42. समाधान: a)

राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद

1. प्रधानमंत्री की अगुवाई में एक काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स होगी जो प्रेसिडेंट की मदद और सलाह देगी। प्रेसिडेंट अपने काम करते समय उस सलाह के अनुसार काम करेंगे। हालाँकि, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स से ऐसी सलाह पर दोबारा सोचने के लिए कह सकते हैं और प्रेसिडेंट उस दोबारा सोचने के बाद दी गई सलाह के अनुसार काम करेंगे।

2. मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी ।

सदन की कार्यवाही में भी बोलने और हिस्सा लेने का अधिकार है , लेकिन वह केवल उसी सदन में वोट दे सकता है जिसका वह सदस्य है।

43. समाधान: a)

वाइस प्रेसिडेंट पांच साल के लिए चुने जाते हैं । उनके चुनाव का तरीका प्रेसिडेंट जैसा ही होता है , बस फर्क इतना है कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा नहीं होते हैं।

वाइस प्रेसिडेंट तभी तक प्रेसिडेंट के तौर पर काम करता है जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता । फखरुद्दीन अली अहमद की मौत के बाद बी.डी. जट्टी ने तब तक प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं चुना गया ।

वाइस प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट से अलग होता है। प्रेसिडेंट के मामले में, दोनों हाउस को स्पेशल मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास करना होता है।

लेकिन VP को उनके पद से राज्य सभा के एक प्रस्ताव से हटाया जा सकता है, जिसे असरदार बहुमत से पास किया गया हो और लोकसभा भी साधारण बहुमत से उस पर सहमत हो।

44. समाधान: c)

वाइस-प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए योग्य होने के लिए, एक व्यक्ति में ये योग्यताएं होनी चाहिए:

1. वह भारत का नागरिक होना चाहिए।

2. उसकी उम्र 35 साल पूरी हो जानी चाहिए।

राज्य सभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए ।

4. उसे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद नहीं रखना चाहिए।

45. समाधान: b)

अनुच्छेद 75:

1. प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी ।

2. काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होगी। यह नियम 2003 के 91वें अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था ।

राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति:

भारत सरकार के सभी एग्जीक्यूटिव एक्शन फॉर्मली उनके नाम पर लिए जाते हैं।

46. समाधान: c)

एग्जीक्यूटिव शब्द का मतलब है लोगों की एक बॉडी जो असल में नियमों और रेगुलेशन को लागू करने का काम देखती है।
एग्जीक्यूटिव के मुख्य काम क्या हैं? एग्जीक्यूटिव सरकार की वह ब्रांच है जो लेजिस्लेचर द्वारा अपनाए गए कानूनों और पॉलिसी को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार है। एग्जीक्यूटिव अक्सर पॉलिसी बनाने में शामिल होता है। एग्जीक्यूटिव के ऑफिशियल पद हर देश में अलग-अलग होते हैं। कुछ देशों में प्रेसिडेंट होते हैं, जबकि दूसरे देशों में चांसलर होते हैं। एग्जीक्यूटिव ब्रांच सिर्फ़ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर तक ही सीमित नहीं है। यह एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी (सिविल सर्वेंट) तक भी फैली हुई है। जबकि सरकार के हेड और उनके मिनिस्टर, जिन पर सरकारी पॉलिसी की पूरी ज़िम्मेदारी होती है, उन्हें एक साथ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के रूप में जाना जाता है, जो रोज़ाना के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़िम्मेदार होते हैं उन्हें परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है।

47. समाधान: a)

कैबिनेट, एक छोटी सी बॉडी है जिसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें करीब 15 से 20 सबसे ज़रूरी मंत्री होते हैं। यह फॉर्मल तौर पर सबसे बड़ी फैसले लेने वाली बॉडी है। हालांकि, 'इनर कैबिनेट' या 'किचन कैबिनेट' नाम की एक और भी छोटी बॉडी पावर का असली सेंटर बन गई है। इस इनफॉर्मल बॉडी में प्रधानमंत्री और दो से चार असरदार साथी होते हैं जिन पर उन्हें भरोसा होता है और जिनसे वे हर प्रॉब्लम पर बात कर सकते हैं। यह ज़रूरी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों पर प्रधानमंत्री को सलाह देती है और ज़रूरी फैसले लेने में उनकी मदद करती है।
'किचन कैबिनेट' की बात सिर्फ़ भारत तक ही सीमित नहीं है।
यह USA और ब्रिटेन में भी मौजूद है और वहां सरकारी फैसलों को प्रभावित करने में काफी ताकतवर है।

48. समाधान: b)

संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें रियासतों को दी जानी थीं।
हर प्रांत और रियासत (या छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के ग्रुप) को उनकी आबादी के हिसाब से सीटें दी जानी थीं।
हर ब्रिटिश प्रांत को दी जाने वाली सीटें तीन मुख्य समुदायों - मुस्लिम, सिख और आम - के बीच उनकी आबादी के हिसाब से तय की जानी थीं।

49. समाधान: a)

रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों द्वारा नॉमिनेट किया जाना था। इस तरह, संविधान सभा कुछ हद तक चुनी हुई और कुछ हद तक नॉमिनेटेड बॉडी थी।
ब्रिटिश इंडिया को दी गई 296 सीटों में से, 292 सदस्य ग्यारह गवर्नर प्रांतों से और चार चीफ कमिश्नर प्रांतों से चुने जाने थे, हर प्रांत से एक-एक।
बयान 3: ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था।
संविधान सभा में उस समय भारत के सभी महत्वपूर्ण लोग शामिल थे, सिवाय महात्मा गांधी और एम.ए. जिन्ना के।

50. समाधान: c)

1) ब्रिटिश संविधान → संसदीय विशेषाधिकार और दो सदनों वाली व्यवस्था
सही
भारत ने ब्रिटेन से उधार लिया:

- संसदीय प्रणाली
- द्विसदनीय विधायिका
- संसदीय विशेषाधिकार
- कानून का शासन, आदि।

2) ऑस्ट्रेलियाई संविधान → समवर्ती सूची और संसद की संयुक्त बैठक
सही
ऑस्ट्रेलिया से, भारत ने अपनाया:

- समवर्ती सूची
- गतिरोध दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
- व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता

3) कनाडा का संविधान → राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
गलत
DPSPs आयरिश संविधान से प्रेरित थे, कनाडाई संविधान से नहीं ।
कनाडा से भारत ने उधार लिया:

- मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली
- राज्यपालों की नियुक्ति
- केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां

सही जोड़े: केवल 1 और 2

सही उत्तर: c) 1 , 2

51. समाधान: b)

"हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को यह सुनिश्चित करने के लिए गंभीरता से संकल्प लेते हैं:

न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक;

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता;

बराबरी का दर्जा और मौका; और उन सबके बीच बराबरी को बढ़ावा देना;

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता;

हम अपनी संविधान सभा में आज छब्बीस नवम्बर, 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

52. समाधान: b)

सुप्रीम कोर्ट सिर्फ़ फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है, किसी और मकसद के लिए नहीं, यानी यह उस मामले तक लागू नहीं होता जहाँ किसी आम कानूनी अधिकार के उल्लंघन का आरोप हो।

हाई कोर्ट का रिट जूरिस्डिक्शन (आर्टिकल 226 के तहत) एक्सक्लूसिव नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के रिट जूरिस्डिक्शन (आर्टिकल 32 के तहत) के साथ-साथ है। इसका मतलब है, जब किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है , तो पीड़ित पक्ष के पास सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन होता है।

यह केंद्र/राज्य के कानूनों/नियमों/रेगुलेशन दोनों के लिए मान्य है।

चंद्र कुमार केस (1997) में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का रिट जूरिस्डिक्शन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसलिए, इसे संविधान में अमेंडमेंट के ज़रिए भी हटाया या बाहर नहीं किया जा सकता ।

53. समाधान: b)

संविधान ने पार्लियामेंट को 'इंडिया का कंटिंजेंसी फंड' बनाने का अधिकार दिया, जिसमें समय-समय पर कानून के हिसाब से तय रकम जमा की जाती है ।

• इसके अनुसार, संसद ने 1950 में भारत आकस्मिक निधि अधिनियम लागू किया।

• यह फंड प्रेसिडेंट के पास होता है , और वह पार्लियामेंट से मंज़ूरी मिलने तक अचानक आए खर्च को पूरा करने के लिए इसमें से एडवांस दे सकते हैं। ऐसे अचानक आए खर्च के लिए पार्लियामेंट की मंज़ूरी पहले ही मिल जाती है , और ऐसी पहले से मंज़ूरी के बाद कंटिंजेंसी फंड को वापस पाने के लिए कंसोलिडेटेड फंड से उतनी ही रकम निकाली जाती है।

• यह निधि राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा रखी जाती है ।

• भारत के सार्वजनिक खाते की तरह, यह भी कार्यकारी कार्रवाई द्वारा संचालित होता है।

54. समाधान: b)

संविधान के अनुसार, पिछली लोकसभा के स्पीकर नई चुनी हुई लोकसभा की पहली मीटिंग से ठीक पहले अपना पद छोड़ देते हैं । इसलिए, राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य को प्रो-टेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। आमतौर पर, इसके लिए सबसे सीनियर सदस्य को चुना जाता है ।

लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करती है ।

• उनका मुख्य काम नए सदस्यों को शपथ दिलाना है। वह सदन को नया स्पीकर चुनने में भी मदद करते हैं।

• जब सदन द्वारा नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है , तो प्रोटेम अध्यक्ष का पद समाप्त हो जाता है।

इसलिए, यह ऑफिस एक टेम्परारी ऑफिस है, जो कुछ दिनों के लिए है।

55. समाधान: c)

बशर्ते कि किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में चालीस से कम नहीं होगी, जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान न करे, राज्य की विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 के खंड (3) में प्रावधान के अनुसार होगी।

56. समाधान: c)

दसवीं अनुसूची 1985 में 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में डाली गई थी ।

यह वह प्रोसेस बताता है जिसके तहत सदन के किसी दूसरे सदस्य की पिटीशन के आधार पर लेजिस्लेचर का प्रेसाइडिंग ऑफिसर, लेजिस्लेटर्स को दलबदल के आधार पर डिसक्वालिफाई कर सकता है ।

दल-बदल के आधार पर अयोग्यता के सवाल पर फैसला उस सदन के चेयरमैन या स्पीकर को भेजा जाता है , और उनका फैसला आखिरी होता है और इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।

दल-बदल विरोधी कानून के फायदे:

• दलीय निष्ठा में बदलाव को रोककर सरकार को स्थिरता प्रदान करता है।
• यह पक्का करता है कि उम्मीदवार पार्टी के साथ-साथ उसे वोट देने वाले नागरिकों के प्रति भी वफ़ादार रहें।
• पार्टी अनुशासन को बढ़ावा देता है।
भारत में, तीन-लाइन व्हिप के खिलाफ बगावत करने से किसी सांसद की हाउस मेंबरशिप खतरे में पड़ सकती है।
एंटी-डिफेक्शन कानून स्पीकर/चेयरपर्सन को ऐसे सदस्य को डिसक्वालिफाई करने की इजाज़त देता है; इसका एकमात्र एक्सेप्शन तब होता है जब एक तिहाई से ज़्यादा लेजिस्लेटर किसी डायरेक्टिव के खिलाफ वोट करते हैं, जिससे पार्टी असल में बंट जाती है।

57. समाधान: c)

देश में लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के पीठासीन अधिकारियों के कॉन्फ्रेंस के एक्स-ऑफिशियो चेयरमैन के तौर पर काम करते हैं।
वह लोकसभा की सभी पार्लियामेंट्री कमेटियों के चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं और उनके कामकाज को सुपरवाइज़ करते हैं। वह खुद बिज़नेस एडवाइज़री कमिटी, रूल्स कमिटी और जनरल पर्पस कमिटी के चेयरमैन हैं।
जब सदन की बैठक सीक्रेट होती है, तो स्पीकर की इजाज़त के बिना कोई भी अजनबी चैंबर, लॉबी या गैलरी में मौजूद नहीं रह सकता।

58. समाधान: c)

स्पीकर के पास ये अधिकार और कर्तव्य हैं:
• वह सदन का काम चलाने और उसकी कार्यवाही को रेगुलेट करने के लिए व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखता है। यह उसकी मुख्य ज़िम्मेदारी है और इस बारे में आखिरी अधिकार उसके पास होता है।
सदन के भीतर (a) भारत के संविधान, (b) लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम, तथा (c) संसदीय मिसालों के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याता है।
• कोरम न होने पर वह सदन को स्थगित कर सकता है या मीटिंग को सस्पेंड कर सकता है। सदन की मीटिंग के लिए कोरम सदन की कुल संख्या का दसवां हिस्सा होता है।

59. समाधान: d)

अनुच्छेद 239B. विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की प्रशासक की शक्ति।
(1) यदि किसी भी समय, उस समय को छोड़कर जब संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी का विधानमंडल सत्र में हो, वहां के प्रशासक को यह विश्वास हो जाता है कि ऐसे हालात मौजूद हैं जिनके चलते उसके लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है तो वह ऐसे अध्यादेश जारी कर सकता है जो हालात उसे अपेक्षित प्रतीत हों:
बशर्ते कि ऐसा कोई अध्यादेश प्रशासक द्वारा राष्ट्रपति से उस संबंध में निर्देश प्राप्त करने के पश्चात ही प्रख्यापित किया जाएगा:
आगे यह भी प्रावधान है कि जब कभी उक्त विधानमंडल भंग हो जाता है, या उसका कामकाज अनुच्छेद 239ए के खंड (1) में निर्दिष्ट किसी कानून के अंतर्गत की गई किसी कार्रवाई के कारण निलंबित रहता है , तो प्रशासक ऐसे विघटन या निलंबन की अवधि के दौरान कोई अध्यादेश जारी नहीं करेगा।

60. समाधान: d)

A192. सदस्यों की अयोग्यता से जुड़े सवालों पर फैसला। - (1) अगर यह सवाल उठता है कि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य आर्टिकल 191 के क्लॉज (1) में बताई गई किसी अयोग्यता से ग्रस्त है या नहीं, तो यह सवाल गवर्नर के फैसले के लिए भेजा जाएगा और उनका फैसला आखिरी होगा।
(2) ऐसे किसी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पहले राज्यपाल चुनाव आयोग की राय प्राप्त करेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।

61. समाधान: b)

भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा बनी थी ।
26 जनवरी 1950 के बाद ही डोमिनियन रहा ।
• 1952 तक , संविधान सभा खुद ही कानून बनाने वाली संस्था के तौर पर काम करती थी।
• पहले आम चुनावों के बाद ही लोकसभा का गठन हुआ और विधानसभा को दोहरी संस्था के रूप में काम करने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया।

62. समाधान: b)

जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न सिर्फ़ ऑर्डिनरी बिल या फ़ाइनेंशियल बिल पर लागू होता है, मनी बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर नहीं।
मनी बिल के मामले में, लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर होती है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को हर हाउस से अलग-अलग पास करवाना होता है।

63. समाधान: d)

स्थगन से सदन की सिर्फ़ बैठक खत्म होती है, सत्र नहीं। प्रोरोगेशन से सदन की सिर्फ़ बैठक ही नहीं, बल्कि सत्र भी खत्म होता है।
स्थगन सदन का पीठासीन अधिकारी करता है ; जबकि प्रोरोगेशन भारत के राष्ट्रपति करते हैं।

स्थगन से सदन में पेंडिंग बिल या किसी दूसरे काम पर कोई असर नहीं पड़ता ; जबकि प्रोरोगेशन से भी सदन में पेंडिंग बिल या किसी दूसरे काम पर कोई असर नहीं पड़ता।

लेकिन, सभी पेंडिंग नोटिस (बिल पेश करने के नोटिस को छोड़कर) प्रोरोगेशन पर लैप्स हो जाते हैं और अगले सेशन के लिए नए नोटिस देने पड़ते हैं।

64. समाधान: b)

• प्रेसिडेंट की पहले से मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं है । लेकिन, 100 मेंबर्स (लोकसभा के मामले में) या 50 मेंबर्स (राज्यसभा के मामले में) के साइन किया हुआ हटाने का मोशन स्पीकर/चेयरमैन को देना होता है।

• स्पीकर/चेयरमैन मोशन को मान सकते हैं या मानने से मना कर सकते हैं। अगर इसे मान लिया जाता है , तो स्पीकर/चेयरमैन आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यों की कमेटी बनाएंगे।

• समिति में (ए) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, (बी) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और (सी) एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होना चाहिए।

• अगर कमिटी जज को गलत व्यवहार का दोषी या अक्षम पाती है, तो हाउस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है।

• संसद के हर सदन में स्पेशल मेजॉरिटी से मोशन पास होने के बाद , जज को हटाने के लिए प्रेसिडेंट को एड्रेस दिया जाता है।

• अंत में, राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश पारित करते हैं।

65. समाधान: a)

(1) किसी राज्य में जिला न्यायाधीश बनने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीशों की पदस्थापना और पदोन्नति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी।

(2) कोई व्यक्ति जो पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में नहीं है, जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा यदि वह सात वर्ष से अन्यून अवधि तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो और उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्ति के लिए उसकी सिफारिश की गई हो।

66. समाधान: d)

ज्यूडिशियल रिव्यू की पावर ज्यूडिशियल रिव्यू, हाई कोर्ट की वह पावर है जिससे वह केंद्र और राज्य सरकारों के कानूनी कानूनों और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। जांच करने पर, अगर वे संविधान का उल्लंघन करने वाले (अल्ट्रा-वायर्स) पाए जाते हैं, तो हाई कोर्ट उन्हें गैर-कानूनी, असंवैधानिक और अमान्य (नल एंड वॉइड) घोषित कर सकता है । इसलिए, सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती ।

संविधान में कहीं भी 'ज्यूडिशियल रिव्यू' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है , लेकिन आर्टिकल 13 और 226 के नियम साफ़ तौर पर हाई कोर्ट को ज्यूडिशियल रिव्यू की पावर देते हैं। किसी लेजिस्लेटिव कानून या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को हाई कोर्ट में इन तीन वजहों से चैलेंज किया जा सकता है :

(अ) यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है (भाग III),

(ख) यह उस प्राधिकारी की क्षमता से बाहर है जिसने इसे तैयार किया है, और

(ग) यह संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है।

DHYAN IAS "Aspire, Learn, Lead"

67. समाधान: b)

उन्हें राष्ट्रपति सिर्फ़ संविधान में बताए गए तरीके और आधार पर ही पद से हटा सकते हैं । इसका मतलब है कि वे राष्ट्रपति की मर्ज़ी पर अपने पद पर नहीं रहते, भले ही उन्हें राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं ।

जजों के व्यवहार पर पार्लियामेंट या राज्य विधानसभा में चर्चा नहीं की जा सकती, सिवाय तब जब पार्लियामेंट में इंपीचमेंट मोशन विचाराधीन हो। संसद उनकी सैलरी, अलाउंस और पेंशन बदल सकती है, लेकिन उनके सर्विस के दौरान नहीं।

68. समाधान: d)

राष्ट्रपति हटाने का ऑर्डर तभी जारी कर सकते हैं, जब संसद उसी सेशन में उन्हें हटाने के लिए एड्रेस दे चुकी हो ।

• अभिभाषण को संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत (अर्थात, उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत) द्वारा समर्थित होना चाहिए ।

• निष्कासन के दो आधार हैं—सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता।

• न्यायाधीश जांच अधिनियम (1968) महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।

69. समाधान: a) फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के मामले में , सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र ओरिजिनल है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। यह आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के साथ-साथ है । यह हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए सभी तरह के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की ओरिजिनल शक्तियां देता है।

जहां तक कानूनी अधिकारों और संवैधानिक अधिकारों का सवाल है, असली अधिकार हाई कोर्ट के पास है ।

उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के "वोट देने के अधिकार" का उल्लंघन होता है, तो वह संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन के लिए हाई कोर्ट जा सकता है। रिट पिटीशन जारी करने के लिए SC नहीं जाया जा सकता ।

हाई कोर्ट भी कानूनी अधिकारों को लागू करता है, और इसके उल्लंघन के मामले में वहां जाना चाहिए ।

फंडामेंटल राइट्स को SC और HC दोनों लागू करते हैं ।

70. समाधान: c)

भारत में संविधान ज्यूडिशियरी (सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों) को ज्यूडिशियल रिव्यू की पावर देता है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने ज्यूडिशियल रिव्यू की पावर को संविधान का एक बेसिक फीचर या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा बताया है। इसलिए, ज्यूडिशियल रिव्यू की पावर को किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी कम या बाहर नहीं किया जा सकता ।

ज्यूडिशियल रिव्यू को इन तीन कैटेगरी में बांटा जा सकता है :

1) संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा।

2) संसद और राज्य विधानसभाओं और अधीनस्थ कानूनों के कानूनों की न्यायिक समीक्षा।

3) केंद्र और राज्य और राज्य के तहत आने वाले अधिकारियों के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का ज्यूडिशियल रिव्यू।

71. समाधान: a)

संविधान के आर्टिकल 174 में कहा गया है, " राज्यपाल समय-समय पर राज्य विधानसभा के सदन या हर सदन को ऐसे समय और जगह पर मिलने के लिए बुलाएगा, जैसा वह ठीक समझे... " । यह नियम राज्यपाल पर यह ज़िम्मेदारी भी डालता है कि सदन को हर छह महीने में कम से कम एक बार बुलाया जाए । हालांकि सदन को बुलाना राज्यपाल का खास अधिकार है, लेकिन आर्टिकल 163 के अनुसार , राज्यपाल को कैबिनेट की "मदद और सलाह" पर काम करना होता है। इसलिए जब राज्यपाल आर्टिकल 174 के तहत सदन को बुलाता है , तो यह उसकी अपनी मर्ज़ी से नहीं होता, बल्कि कैबिनेट की मदद और सलाह पर होता है।

कुछ ऐसे मामले हैं जहां गवर्नर, कैबिनेट के हेड मुख्यमंत्री के मना करने के बावजूद सदन बुला सकते हैं। जब ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री बहुमत खो चुके हैं और सदन के लेजिस्लेटिव सदस्य मुख्यमंत्री के खिलाफ नो-कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं, तो गवर्नर सदन बुलाने का फैसला खुद कर सकते हैं।

लेकिन गवर्नर के कामों को, जब वे अपनी समझ से काम करने की शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, तो कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।

72. समाधान: c)

दूसरा घर होने के खिलाफ तर्क:

• बुद्धिजीवियों को लेजिस्लेचर में लाने के बड़े मकसद को पूरा करने के बजाय, इस फोरम का इस्तेमाल उन पार्टी पदाधिकारियों को जगह देने के लिए किया जा सकता है जो चुने नहीं जा पाते ।

• राज्य के विपरीत सभा के पास नॉन-फाइनेंशियल कानून बनाने की काफी शक्तियां हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास ऐसा करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली के पास काउंसिल द्वारा किसी कानून में दिए गए सुझावों/संशोधनों को ओवरराइड करने की शक्ति है।

• राज्यसभा के MP राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सकते हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य ऐसा नहीं कर सकते । MLC भी राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में वोट नहीं दे सकते।

• धन विधेयकों के संबंध में परिषद द्वारा केवल चौदह दिनों की देरी की जा सकती है , जो विधानसभा द्वारा धन विधेयक पारित करने के मार्ग में बाधा के बजाय कमोबेश एक औपचारिकता है।

73. समाधान (ए)

राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत सलाह के लिए कानून या सार्वजनिक महत्व के तथ्य के सवालों को सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं। यह काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स की सलाह के बिना भी किया जा सकता है , हालांकि असल में, यह आमतौर पर ऐसी सलाह पर आधारित होता है। सलाह की राय राष्ट्रपति के लिए ज़रूरी नहीं है, जिससे स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है।

74. समाधान (ए)

1978 में 44वें संविधान संशोधन ने आर्टिकल 31 को हटा दिया और प्रॉपर्टी के अधिकार को आर्टिकल 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया। यह अधिकार सिर्फ़ राज्य के ख़िलाफ़ लागू किया जा सकता है , निजी लोगों के ख़िलाफ़ नहीं। इसलिए, स्टेटमेंट 1 सही है, और स्टेटमेंट 2 गलत है।

75. समाधान (a) इंटर-स्टेट काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है जिसे आर्टिकल 263 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल के लिए बनाया गया है। हालाँकि, इसकी सिफारिशें सलाह देने वाली होती हैं और मानने लायक नहीं होतीं। इसलिए, स्टेटमेंट 1 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है।

76. समाधान (सी)

प्रेसिडेंट रूल को तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है । शुरू में, संविधान ने इसे सिर्फ़ एक साल के लिए इजाज़त दी थी, लेकिन 44वें अमेंडमेंट ने खास शर्तों पर इसे एक साल से ज़्यादा बढ़ाने की इजाज़त दी। इसलिए, दोनों बातें सही हैं।

77. समाधान (d)

शुरू में, इलेक्शन कमीशन एक सिंगल-मेंबर बॉडी थी। 1989 में आर्टिकल 324 के तहत एक एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन से यह मल्टी-मेंबर बन गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, सीधे प्राइम मिनिस्टर नहीं। इसलिए, दोनों बातें गलत हैं।

78. समाधान (ए)

मनी बिल सिर्फ़ लोकसभा में और आर्टिकल 110 के तहत प्रेसिडेंट की सिफ़ारिश से ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट या उसमें बदलाव नहीं कर सकती; यह सिर्फ़ सिफ़ारिश कर सकती है जिसे लोकसभा मान या रिजेक्ट कर सकती है। इसलिए, स्टेटमेंट 1 सही है , स्टेटमेंट 2 गलत है ।

79. समाधान (बी)

आर्टिकल 108 के तहत जॉइंट सिटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर लागू नहीं होती है। यह सिर्फ़ ऑर्डिनरी और फाइनेंशियल बिल पर लागू होती है जब कोई डेडलॉक हो। जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। इसलिए , स्टेटमेंट 1 गलत है, लेकिन स्टेटमेंट 2 सही है।

80. समाधान (बी)

डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटियों का प्रावधान 74वें अमेंडमेंट के आर्टिकल 243ZD में किया गया है, 73वें में नहीं। 73वां अमेंडमेंट पंचायतों से संबंधित है और आर्टिकल 243D के तहत महिलाओं के लिए एक-तिहाई रिज़र्वेशन ज़रूरी करता है। इसलिए, स्टेटमेंट 1 गलत है, लेकिन स्टेटमेंट 2 सही है।

81. समाधान (d)

DHYAN IAS "Aspire, Learn, Lead"

सही उत्तर: अनुच्छेद 368(4)

व्याख्या: आर्टिकल 368(4) कहता है कि किसी भी संवैधानिक संशोधन (आर्टिकल 368 के तहत) पर किसी भी आधार पर किसी भी कोर्ट में सवाल नहीं उठाया जा सकता । हालांकि, मिनर्वा मिल्स केस (1980) में सुप्रीम कोर्ट ने इस क्लॉज़ को रद्द कर दिया था, जिसमें ज्यूडिशियल रिव्यू की शक्ति पर ज़ोर दिया गया था।

82. सही उत्तर : (c) अनुच्छेद 360

व्याख्या: भारतीय संविधान का आर्टिकल 360 राष्ट्रपति को फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित करने का अधिकार देता है, अगर उन्हें लगता है कि भारत या उसके किसी हिस्से की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट को खतरा है। भारत में अब तक ऐसी कोई इमरजेंसी घोषित नहीं की गई है ।

83. सही उत्तर: (a) अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226

व्याख्या: आर्टिकल 32 लोगों को फंडामेंटल राइट्स लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, जबकि आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है। ये नियम भारत में ज्यूडिशियल रिव्यू का संवैधानिक आधार हैं।

84. सही उत्तर : (d) 61वां संशोधन अधिनियम

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए वोट देने की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी। इस संशोधन ने भारतीय युवाओं के बीच लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाया।

85. सही उत्तर : (a) अनुच्छेद 263

व्याख्या: भारतीय संविधान का आर्टिकल 263, राज्यों के बीच के झगड़ों की जांच करने और उन पर सलाह देने और राज्यों और केंद्र के बीच पॉलिसी में तालमेल बिठाने के लिए एक इंटर-स्टेट काउंसिल बनाने का प्रावधान करता है ।

86. सही उत्तर: (a) भारत के राष्ट्रपति

व्याख्या: आर्टिकल 316 के अनुसार, UPSC के चेयरमैन और दूसरे सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं । राष्ट्रपति उनकी सेवा की शर्तें भी तय करते हैं।

87. सही उत्तर: (a) A-2, B-3, C-4, D-1

स्पष्टीकरण:

* बलवंतराय मेहता समिति (1957) ने पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की ।

जिला स्तरीय दो स्तरीय प्रणाली की वकालत की परिषद को आधार बनाया।

* जी.वी.के. राव समिति (1985) ने पी.आर.आई. को विकास संस्थानों के रूप में महत्व दिया।

* एल.एम. सिंघवी समिति (1986) ने पी.आर.आई. को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया।

88. सही उत्तर: (a) A-3, B-4, C-1, D-2

स्पष्टीकरण:

* 42वें संशोधन (1976) द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया।

* 44वें संशोधन (1978) ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया।

* 61वें संशोधन (1988) ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी।

* 73वें संशोधन (1992) ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया।

DHYAN IAS "Aspire, Learn, Lead"

89. सही उत्तर: (a) A-2, B-3, C-1, D-4

* राष्ट्रपति पर महाभियोग: स्पेशल मेजॉरिटी (2/3 मौजूद और वोटिंग + एब्सोल्यूट मेजॉरिटी)

* उपराष्ट्रपति का चुनाव: साधारण बहुमत

* VP को हटाना: राज्यसभा में पूर्ण बहुमत और लोकसभा में सहमति

* FRs में संशोधन: आर्टिकल 368 के तहत स्पेशल मेजॉरिटी

90. सही उत्तर: (a) A-3, B-2, C-1, D-4

* यूपीएससी: अनुच्छेद 315

* चुनाव आयोग: अनुच्छेद 324

* वित्त आयोग: अनुच्छेद 280

* कैग: अनुच्छेद 148

91. सही उत्तर: (a) A-3, B-2, C-1, D-4

* राष्ट्रीय आपातकाल: अनुच्छेद 352

* राष्ट्रपति शासन: अनुच्छेद 356

* वित्तीय आपातकाल: अनुच्छेद 360

* FRs का निलंबन: अनुच्छेद 359

92. सही उत्तर: (a) A-4, B-1, C-3, D-2

स्पष्टीकरण :

* पहली अनुसूची: केंद्र और राज्य क्षेत्र

* आठवीं अनुसूची: 22 आधिकारिक भाषाएँ

* दसवीं अनुसूची: दलबदल विरोधी कानून

* बारहवीं अनुसूची: नगर पालिकाओं के विषय

93. सही उत्तर: (a) A-1, B-4, C-2, D-3

* मनी बिल (आर्टिकल 110): यह सिर्फ़ टैक्स, उधार वगैरह से जुड़ा है।

* फाइनेंशियल बिल (I): इसमें आर्टिकल 110 + दूसरे मामले शामिल हैं; इसके लिए प्रेसिडेंट की सिफारिश ज़रूरी है।

* फाइनेंशियल बिल (II): इसमें फाइनेंशियल मामले शामिल हैं, कोई आर्टिकल 110 कंटेंट नहीं है; किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है।

* साधारण बिल: बिना किसी खास प्रक्रिया के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है

94. सही उत्तर: (d) न तो 1 और न ही 2

व्याख्या: अटॉर्नी जनरल को संसद के किसी भी सदन या किसी पार्लियामेंट्री कमेटी की कार्यवाही में बोलने और हिस्सा लेने का अधिकार है, लेकिन **वोट देने का अधिकार नहीं है** (स्टेटमेंट 1 गलत है)। इसके अलावा, **एजी का संसद सदस्य होना ज़रूरी नहीं है**; उसे सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होने के लिए योग्य होना चाहिए (स्टेटमेंट 2 गलत है)।

95. सही उत्तर: (a) केवल 1

व्याख्या: चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही और उन्हीं आधारों पर हटाया जाता है (स्टेटमेंट 1 सही है)। हालांकि, संविधान में रीजनल इलेक्शन कमिश्नर का साफ तौर पर ज़िक्र नहीं है; उन्हें इलेक्शन कमीशन की सिफारिश के आधार पर प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं (स्टेटमेंट 2 गलत है)।

96. सही उत्तर: (a) केवल 1

व्याख्या: इंटर-स्टेट काउंसिल असल में संविधान के आर्टिकल 263 के तहत बनाई गई है (स्टेटमेंट 1 सही है)। लेकिन, इसकी सिफारिशें सलाह देने वाली हैं और मानने लायक नहीं हैं (स्टेटमेंट 2 गलत है)।

97. सही उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों

व्याख्या: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 ने संविधान के भाग III (मूल अधिकार) से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया और इसे संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300A के तहत एक संवैधानिक अधिकार बना दिया। दोनों कथन सही हैं।

98. सही उत्तर (b) केवल 2 और 3

व्याख्या: राष्ट्रपति अपनी मर्ज़ी से लोकसभा भंग नहीं कर सकते; यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है। राष्ट्रपति के पास सज़ा माफ़ करने, राहत देने, राहत देने या माफ़ी देने का संवैधानिक अधिकार है, खासकर मौत की सज़ा वाले मामलों में (आर्टिकल 72)। राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य (नॉमिनेटेड सदस्य नहीं) होते हैं, जिससे यह पक्का होता है कि स्टेटमेंट 2 और 3 सही हैं, लेकिन स्टेटमेंट 1 गलत है।

99. सही उत्तर (a) केवल 1 और 3

व्याख्या: राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है और इसे भंग नहीं किया जा सकता, हर दो साल में एक-तिहाई सदस्य रिटायर हो जाते हैं। लोकसभा का टर्म पांच साल का होता है लेकिन नेशनल इमरजेंसी (आर्टिकल 83) के दौरान इसे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। मनी बिल सिर्फ़ लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं (आर्टिकल 110)।

100. सही उत्तर (a) केवल 1 और 2

व्याख्या: गवर्नर को राष्ट्रपति पांच साल के लिए नियुक्त करते हैं (आर्टिकल 156)। गवर्नर कुछ बिलों को राष्ट्रपति के विचार के लिए रिज़र्व कर सकते हैं (आर्टिकल 200)। हालांकि, आम तौर पर गवर्नर काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स की सलाह पर काम करते हैं; स्वतंत्र रूप से काम करने की शक्ति बहुत सीमित है, और स्वतंत्र रूप से काम करने के बारे में बयान ज़्यादातर कन्वेंशन हैं, इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है।

101. सही उत्तर (a) केवल 1 और 3

व्याख्या: राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, जिसे विधानसभा में विश्वास होना चाहिए (आर्टिकल 164)। मुख्यमंत्री दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति पर राज्यपाल को सलाह देता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल तय नहीं है; यह विधायी विश्वास बनाए रखने पर निर्भर करता है, इसलिए कथन 2 गलत है।

102. सही उत्तर (a) केवल 2 और 3

व्याख्या: सभी राज्यों में दो सदन वाली विधानसभा नहीं होती; ज़्यादातर में एक सदन वाली होती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल एक परमानेंट बॉडी है जिसके एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में रिटायर होते हैं। गवर्नर लेजिस्लेचर को बुला सकता है, उसे रोक सकता है और असेंबली को भंग कर सकता है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल को नहीं, जो परमानेंट होती है। इसलिए स्टेटमेंट 2 और 3 सही हैं, लेकिन स्टेटमेंट 1 गलत है।

103. सही उत्तर (a) केवल 1 और 3

व्याख्या: लोक अदालतें लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटीज़ एक्ट, 1987 के तहत आपसी झगड़े सुलझाने के लिए बनाई जाती हैं। फ़ैमिली कोर्ट सिर्फ़ क्रिमिनल फ़ैमिली हिंसा के मामलों को ही नहीं, बल्कि फ़ैमिली झगड़ों से जुड़े सिविल मामलों को भी देखते हैं। ग्राम न्यायालय ग्रामीण इलाकों में तेज़ी से न्याय दिलाने के लिए गांव के लेवल के कोर्ट हैं (ग्राम न्यायालय एक्ट, 2008)। इसलिए, स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं; स्टेटमेंट 2 गलत है।

DHYAN IAS "Aspire, Learn, Lead"

104. सही उत्तर (बी)

1. राष्ट्रपति किसी संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं रोक सकता (अनुच्छेद 368)।
2. लोकसभा के भंग होने के बाद, नई सरकार बनने तक काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स बनी रहती है; प्रेसिडेंट उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य रहते हैं (आर्टिकल 74)।
3. संसद के दोबारा बैठने के छह हफ़्ते के अंदर मंज़ूरी न मिलने पर अध्यादेश खत्म हो जाते हैं।
4. मनी बिल को प्रेसिडेंट दोबारा विचार के लिए वापस नहीं कर सकते; सिर्फ़ मंज़ूरी दी जा सकती है।

105. सही उत्तर (a)

1. उपराष्ट्रपति का चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल करके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है।
2. दोनों सदनों के सभी सदस्य, जिनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं।
3. उपराष्ट्रपति मृत्यु सहित सभी स्थितियों में राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है।
4. टाई होने पर वाइस प्रेसिडेंट (राज्यसभा चेयरमैन के तौर पर) के पास वोट देने का अधिकार होता है।

106. सही उत्तर (d)

1. जो MP नहीं है, उसे मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर MP बनना होगा।
2. 91वें संविधान संशोधन के तहत मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% तक सीमित है।
3. इंडिपेंडेंट चार्ज वाले राज्य मंत्री कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते हैं और सिर्फ़ बुलाए जाने पर ही मीटिंग में शामिल होते हैं।
4. अनुच्छेद 74(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद की सलाह न्यायालय में न्यायोचित नहीं है।

107. सही उत्तर (a) केवल 1, 3 और 4

1. संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं।

2. स्पीकर पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होती हैं, हालांकि वह लोकसभा की अध्यक्षता करती हैं।

3. आर्टिकल 80 के मुताबिक राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 250 सदस्य हो सकते हैं।

4. राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट देते हैं।

108. सही उत्तर (a) केवल 1, 2 और 3

व्याख्या: PM कैबिनेट के फ़ैसलों की जानकारी राष्ट्रपति को देते हैं (Art. 78)। वह मंत्रियों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करते हैं। वह NITI आयोग और NIC के एक्स-ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। हालांकि, PM कानूनी तौर पर कैबिनेट के फ़ैसलों को लागू करने से पहले संसद को बताने के लिए बाध्य नहीं हैं।

109. सही उत्तर (a) केवल 1, 2 और 4

व्याख्या: संविधान संशोधन बिल किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति को मंज़ूरी देनी होती है (Art. 368)। जॉइंट सिटिंग की इजाज़त नहीं है (बयान 3 गलत है)। कुछ संशोधनों (जैसे कि फ़ेडरल स्ट्रक्चर पर असर डालने वाले) के लिए राज्य की मंज़ूरी की ज़रूरत होती है।

110. सही उत्तर (b) केवल 1, 3 और 4

व्याख्या: कैबिनेट कमेटियां संवैधानिक संस्थाएं नहीं हैं। सभी के चेयरमैन PM नहीं होते; कुछ के चेयरमैन सीनियर मंत्री होते हैं (बयान 2 गलत)। पॉलिटिकल अफेयर्स और अपॉइंटमेंट कमेटियां होती हैं। नॉन-कैबिनेट मंत्री इनवाइटी हो सकते हैं।

111. सही उत्तर (b) केवल 2, 3 और 4

संविधान के अनुसार, सेशन के बीच 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए—ज़रूरी नहीं कि हर साल 2 सेशन हों (स्टेटमेंट 1 गलत है)। प्रोरोगेशन सेशन खत्म हो जाता है। स्पीकर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकते हैं।

112. सही उत्तर (d) केवल 1, 3 और 4

राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह पर लोकसभा भंग करते हैं। राज्यसभा सामान्य रूप से चलती रहती है। लोकसभा में पेंडिंग बिल लैप्स हो जाते हैं; राज्यसभा में, केवल नॉन-मनी बिल जो राज्यसभा में पेंडिंग हैं, लैप्स नहीं होते हैं। स्टेटमेंट 2 गलत है।

113. सही उत्तर (a) केवल 1, 2 और 3

PM, प्रेसिडेंट को बुलाने, प्रोरोगिंग (Art. 85) पर सलाह देता है, प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच लिंक होता है, और पोर्टफोलियो बांटता है। लेकिन अगर किसी मिनिस्टर का इस्तीफा मना कर दिया जाता है तो PM, प्रेसिडेंट के फैसले को ओवरराइड नहीं कर सकता (स्टेटमेंट 4 गलत है)।

114. सही उत्तर (बी)

• कथन 1 गलत है - भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई), जो सीआरएस की देखरेख करते हैं, गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन नहीं।

• कथन 2 सही है - निजी अस्पतालों को सीआरएस डेटाबेस में आधिकारिक प्रविष्टि के लिए स्थानीय रजिस्ट्रार को जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट करना अनिवार्य है ।

• कथन 3 सही है— 2023 संशोधन के अनुसार , सीआरएस के डेटा का उपयोग राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर), राशन कार्ड डेटाबेस और अन्य केंद्रीय योजनाओं सहित प्रमुख डेटाबेस को स्वचालित रूप से अपडेट करने के लिए किया जाएगा।

115. सही उत्तर (c)

सभी रेवेन्यू आर्टिकल 266 के तहत भारत के कंसोलिडेटेड फंड में जाते हैं।

116. सही उत्तर (a)

जॉइंट सिटिंग की इजाज़त सिर्फ़ आम बिल के लिए है।

मनी बिल → कोई जॉइंट सिटिंग नहींसंविधान संशोधन बिल → कोई जॉइंट सिटिंग नहीं

117. सही उत्तर (बी)

1 – गलत (स्पीकर राष्ट्रपति की मर्ज़ी के मुताबिक पद पर *नहीं रहता)* 2 – गलत (पहले से सदस्य होना चाहिए) 3 – सही (डिप्टी स्पीकर को इस्तीफ़ा देता है)

118. सही उत्तर: (d)

आर्टिकल 253 के तहत, संसद राज्य की सहमति के बिना ट्रीटी को लागू करने के लिए कानून बना सकती है।

119. सही उत्तरः (सी) केवल 1, 2 और 3

अनुच्छेद 88 के तहत, भारत के महान्यायवादी:

- लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं
- संसदीय समिति का सदस्य हो सकता है
- लोकसभा में बोल सकते हैं
- वोट नहीं दे सकते

इसलिए स्टेटमेंट 1, 2, और 3 सही हैं; 4 गलत है।

120. सही उत्तर: (c)

a) गलत — एक व्यक्ति एक ही समय में दो या उससे ज़्यादा राज्यों का गवर्नर हो सकता है (जैसे, पहले गोवा + महाराष्ट्र का गवर्नर)। (b) गलत — हाई कोर्ट के जजों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, गवर्नर नहीं। (c) सही — संविधान में गवर्नर को हटाने का कोई प्रोसेस नहीं बताया गया है। वे "प्रेसिडेंट की मर्ज़ी तक" पद पर रहते हैं। (d) गलत — विधानसभा वाले UTs (दिल्ली, पुडुचेरी) में, प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं; LG सिर्फ़ एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं।

121. (c) पहले और दूसरे दोनों

COP-30 (नवंबर 2025) की मेजबानी **ब्राजील ने की थी** और प्रमुख एजेंडा मदों में **जलवायु वित्त** और **जीवाश्म ईंधन/ऊर्जा संक्रमण शामिल थे** ।

122. (c) पहला और दूसरा

G20 समिट 2025 दोनों **जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुए थे** और यह **अफ्रीका में आयोजित पहला G20 समिट था** ।

123. (b) अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी

विश्व ऊर्जा आउटलुक **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी** द्वारा जारी किया जाता है ।

124. (बी) व्यापार और आर्थिक सहयोग

APEC क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और व्यापार सुविधा पर केंद्रित है।

125. (सी) यूएनएससी संरचना यूएनजीए सुधार बहस मुख्य रूप से

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार और सुधार से संबंधित है ।

126. (b) खाने की चीज़ों की कीमतें

2025 के आखिर में महंगाई का ट्रेंड मुख्य रूप से खाने की चीज़ों की कीमतों में उतार-चढ़ाव की वजह से था ।

127. (b) महंगाई पर कंट्रोल:

भारतीय रिज़र्व बैंक महंगाई को टारगेट करने वाले फ्रेमवर्क को फॉलो करता है।

128. (बी) स्थिर कर अनुपालन

जीएसटी राजस्व वृद्धि बेहतर अनुपालन और आर्थिक औपचारिकता को दर्शाती है।

129. (बी) एकीकृत सार्वजनिक सेवा निगरानी

MeitY डैशबोर्ड का उद्देश्य वास्तविक समय शासन और सेवा वितरण ट्रैकिंग है।

130. (बी) इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र

भारत-जापान सहयोग अर्धचालक, आपूर्ति श्रृंखलाओं और विनिर्माण पर केंद्रित है।

131. (ए) हाई-स्पीड क्षेत्रीय संपर्क

वंदे भारत ट्रेनें तेज, अर्ध-हाई-स्पीड यात्री संपर्क को बढ़ाती हैं।

132. (बी) बुनियादी ढांचा मंत्रालय डेटा

पीएम गति शक्ति कई बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के डेटा को एकीकृत करता है।

133. (ए) रसद लागत कम करें

अंतर्देशीय जलमार्ग लागत प्रभावी और टिकाऊ परिवहन में सुधार करते हैं।

134. (a) क्लासिकल RSA एन्क्रिप्शन

क्वांटम कंप्यूटिंग मौजूदा पब्लिक-की क्रिप्टोग्राफी के लिए खतरा है।

135. (b) क्वांटम हमलों के लिए प्रतिरोधी एल्गोरिदम

पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्वांटम-सुरक्षित एल्गोरिदम विकसित करती है।

136. (b) स्टार्ट-अप्स और प्राइवेट स्पेस सेक्टर।

ISRO की छोटी सैटेलाइट पहल प्राइवेट पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करती है।

DHYAN IAS Aspire, Learn, Lead

137. (ए) नैतिक उपयोग और डेटा सुरक्षा
एआई विनियमन बहस जिम्मेदार और नैतिक एआई पर जोर देती है।

138. (बी) स्वदेशी रक्षा उत्पादन में वृद्धि
, बढ़ता निर्यात रक्षा विनिर्माण में *आत्मनिर्भर भारत को दर्शाता है।*

139. (ए) एंटी-पायरेसी और समुद्री सुरक्षा
हिंद महासागर अभ्यास एसएलओसी सुरक्षा और सहयोग पर केंद्रित है।

140. (ए) डिजिटल महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा
साइबर अभ्यास बिजली, बैंकिंग, दूरसंचार और डेटा नेटवर्क की रक्षा करते हैं।

141. (c) 1 और 2
COP-30 दोनों में क्लाइमेट फाइनेंस और एनर्जी ट्रांज़िशन पॉलिसी पर चर्चा हुई।

142. (ए) जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता
ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य डीकार्बोनाइजेशन और ऊर्जा सुरक्षा है।

143. (बी) वाहन और पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन
उत्तर भारत प्रदूषण नियंत्रण का लक्ष्य परिवहन और कृषि अवशेष जलाना है।

144. (ए) प्रजाति संरक्षण वित्तपोषण
संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता वार्ता संरक्षण लक्ष्यों के लिए वित्तपोषण पर जोर देती है।

145. (ए) एनईपी 2020
कौशल-आधारित शिक्षा सुधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ संरेखित हैं।

146. (b) विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन
विश्व रेडियोग्राफी दिवस एक्स-रे की खोज का प्रतीक है (8 नवंबर)।

147. (d) एस.एन. बोस 7 नवंबर भौतिक विज्ञानी
सत्येंद्र की जयंती है **नाथ बोस** .

148. (a) डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम
स्वीडन की लगभग कैशलेस इकॉनमी एडवांस्ड डिजिटल पेमेंट को दिखाती है।

149. (ए) वैश्विक भूख में कमी
विश्व खाद्य कार्यक्रम भूख से लड़ने के लिए काम करता है।

150. (a) आधार- UPI- डिजिलॉकर इंटीग्रेशन
यह ट्रायड भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का कोर है ।

DHYAN IAS "Aspire, Learn, Lead"